Term-End Examination December, 2024

BPSE-143: भारत में राज्य राजनीति

MOST IMPORTANT QUESTIONS (HINDI)

MUST WATCH TO SCORE GOOD MARKS

PART-2

भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।

- **संविधानिक दृष्टिकोण (Constitutional Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि संविधान राज्य की शक्तियों और कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और संसद के कार्य।

उदाहरण: भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद का गठन, और राज्यसभा व लोकसभा के अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा किया जाता है। **धारा 356** के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, जो किसी राज्य सरकार के असमर्थ होने पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

- **संस्थागत दृष्टिकोण (Institutional Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन उसकी प्रमुख संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका, और सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ये संस्थाएँ कैसे काम करती हैं और उनके बीच किस तरह की शक्ति का बंटवारा होता है।

उदाहरण: भारतीय संसद की भूमिका, जैसे 2016 में **नोटबंदी** का निर्णय, संसद में बहस और मतदान के माध्यम से लिया गया। यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डालने वाला था और संसद के संस्थागत निर्णय को दर्शाता है।

- **लोकतांत्रिक दृष्टिकोण (Democratic Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसमें चुनाव, राजनीतिक दलों, और जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है।

उदाहरण: 2019 का लोकसभा चुनाव इसका एक उदाहरण है, जिसमें भारत की जनता ने विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देकर सरकार चुनी। चुनावों के जरिए जनता ने अपनी पसंदीदा पार्टी और नेता को चुना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

- **सामाजिक दृष्टिकोण (Social Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति को समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, और धर्मों के संदर्भ में समझा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज में असमानताएँ और संघर्ष राज्य की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

उदाहरण: मंडल कमीशन (1990) की सिफारिशों के तहत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए

Scholarly Minds

आरक्षण लागू किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता की समस्याएँ भारतीय राजनीति में प्रमुख स्थान रखती हैं।

- **वर्ग संघर्ष दृष्टिकोण (Class Struggle Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे श्रमिक और मालिक, के संघर्ष के रूप में किया जाता है। इसका मानना है कि राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना है।

उदाहरण: किसान आंदोलन (2020-2021) को एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों का विरोध किया। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि किसानों और सरकार के बीच एक स्पष्ट वर्ग संघर्ष है।

- **राजनीतिक अर्थशास्त्र दृष्टिकोण (Political Economy Approach):**

इस दृष्टिकोण में राजनीति और समाज की आर्थिक संरचना के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश की जाती है। यह देखता है कि राज्य की नीतियाँ और निर्णय कैसे समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

उदाहरण: मनरेगा (MNREGA) योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है, इसका उद्देश्य गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। यह योजना राज्य की आर्थिक नीति और समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने का एक उदाहरण है।

- **सांस्कृतिक दृष्टिकोण (Cultural Approach):**

इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति का अध्ययन समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं और धर्मों के आधार पर किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि भारतीय समाज में धर्म, जाति, और क्षेत्रीय पहचान राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं।

उदाहरण: राम मंदिर विवाद और **धार्मिक पहचान** के मुद्दे भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के मुद्दों ने राजनीति को एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभावित किया है।

- **विवेचनात्मक दृष्टिकोण (Normative Approach):**

इस दृष्टिकोण में राजनीति को आदर्श और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य की राजनीति में न्याय, समानता, और स्वतंत्रता जैसे आदर्श मूल्य कैसे लागू किए जा सकते हैं।

उदाहरण: आरटीआई (Right to Information) कानून का उदाहरण लिया जा सकता है, जो नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की शक्ति देता है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी नीतियों में नैतिक और न्यायपूर्ण हो।

संविधान में उल्लेखित केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था का परीक्षण कीजिए।

भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था विशेष रूप से **संघीय ढांचे** पर आधारित है, जो राज्य की राजनीति और प्रशासन की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। संविधान ने केन्द्र और राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसे समझने के लिए हम इसे विभिन्न पहलुओं से देख सकते हैं, साथ ही कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे।

1. संघीय ढांचा और शक्तियों का विभाजन (Federal Structure and Division of Powers):

Scholarly Minds

भारतीय संविधान में **संघीय ढांचा** स्थापित किया गया है, जिसमें केन्द्र (केंद्र सरकार) और राज्य (राज्य सरकारें) के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। संविधान के **7वीं अनुसूची** में केन्द्र और राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण है। इसमें तीन प्रमुख सूची हैं:

- **संघ सूची (Union List)**
- **राज्य सूची (State List)**
- **संयुक्त सूची (Concurrent List)**

उदाहरण:

- **संघ सूची** में उन विषयों का उल्लेख है, जिन पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, और मुद्रा नीति।
- **राज्य सूची** में उन विषयों का उल्लेख है, जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, और कृषि।
- **संयुक्त सूची** में वह विषय शामिल हैं जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, अपराध और आपराधिक प्रक्रिया।

2. केन्द्र की भूमिका (Role of the Centre):

संविधान में केन्द्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि पूरे देश में एकता और अखंडता बनी रहे। यदि किसी राज्य में शासन की स्थिति असामान्य हो या राज्य सरकार असमर्थ हो, तो केन्द्र को अधिकार है कि वह **राष्ट्रपति शासन** लागू करे।

उदाहरण:
धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जो केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, **जम्मू-कश्मीर** में 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

3. राज्यों की स्वायत्तता (Autonomy of States):

राज्य सरकारों को अपनी विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका को स्थापित करने का अधिकार है। राज्यों को अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वे संविधान का पालन करें।

उदाहरण:
राज्य सरकारें अपनी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और स्थानीय प्रशासन के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, **केरल** ने अपने राज्य में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी और राज्य स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था को बढ़ाया।

4. संघीयता और केंद्रीयकरण का संतुलन (Balance between Federalism and Centralization):

संविधान में कभी-कभी केन्द्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती हैं, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा या पूरे देश के हितों की बात आती है। इस स्थिति को **केंद्रीकरण (Centralization)** कहते हैं। हालांकि,

Scholarly Minds

राज्यों को अपने मामलों में स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संविधान में विभिन्न प्रावधान हैं।
केंद्रीय सरकार को कुछ मामलों में विशेष शक्तियां दी गई हैं, जैसे संविधान में बदलाव के मामलों में (धारा 368), लेकिन राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।

उदाहरण:
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकruptcy कोड (IBC), 2016 के तहत, यह कानून केन्द्र द्वारा लागू किया गया था, जो राज्यों के व्यापार और उद्योग के मामलों को प्रभावित करता है, और यह राज्यों की नीति से ऊपर होता है।

5. संघीयता और संविधान में बदलाव (Federalism and Amendment of the Constitution):

संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी संशोधन राज्यसभा (राज्य प्रतिनिधियों का सदन) द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यों को इस बदलाव की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार होता है।

उदाहरण:
73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992) ने राज्यों को स्थानीय स्व-शासन (पंचायती राज) और नगर निगमों की सशक्त भूमिका प्रदान की, जो राज्यों के अधिकारों के विस्तार का एक उदाहरण है।

6. संघीयता का संकट और विशेष प्रावधान (Crisis of Federalism and Special Provisions):

भारतीय संघीय ढांचे में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी हैं जो कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, **जम्मू-कश्मीर** के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 में विशेष अधिकार दिए गए थे, जो इसे अन्य राज्यों से अलग स्थिति में रखता था (हालांकि 2019 में इसे हटाया गया था)।

उदाहरण:
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 ने राज्य को विशेष दर्जा दिया था, जिससे राज्य को अपने कानून बनाने और कुछ मामलों में स्वतंत्रता थी, जैसे नागरिकता के अधिकार।

निष्कर्ष:

भारत में संविधान ने केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली बनाई है। संघीय ढांचे में केन्द्र को कुछ मामलों में अधिक शक्तियां दी गई हैं, जबकि राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रीय मामलों में स्वायत्तता दी गई है। यह प्रणाली समय-समय पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संघर्ष को प्रभावित करती है, लेकिन संविधान ने इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी किए हैं।

निम्नलिखित पर (प्रत्येक) 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) मार्क्सवाद

Scholarly Minds

(ब) अशोक मेहता समिति

(अ) मार्क्सवाद

मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है, जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने विकसित किया था। यह सिद्धांत समाज के वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की ओर एक परिवर्तन को लेकर विचार करता है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना और समाज में समानता स्थापित करना है।

मार्क्स के अनुसार, समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं – एक है **पूंजीपति वर्ग** (बड़े उद्योगपतियों और मालिकों का वर्ग) और दूसरा है **श्रमिक वर्ग** (जो केवल अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवित रहते हैं)। पूंजीपति वर्ग हमेशा श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स का मानना था कि यह वर्ग संघर्ष अंततः एक समाजवादी क्रांति का कारण बनेगा, जहां पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और उत्पादन के साधन श्रमिकों के नियंत्रण में होंगे।

मार्क्सवाद ने आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और यह भविष्यवाणी की कि समाज साम्यवाद की ओर बढ़ेगा, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और संपत्ति की समानता मिलेगी। भारत में भी मार्क्सवाद ने प्रभाव डाला, खासकर **साम्यवाद** और **मार्क्सवादी समाजवाद** की विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक दलों ने काम किया।

(ब) अशोक मेहता समिति

अशोक मेहता समिति 1977 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति थी, जिसे भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए नियुक्त किया गया था। समिति का नेतृत्व **अशोक मेहता** ने किया था, और इसका उद्देश्य था भारत में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना।

समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इसमें **पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा** देने, **दो स्तरों पर पंचायतें** बनाने (ग्राम पंचायत और जिला पंचायत), और **राज्य चुनाव आयोग** का गठन करने की सिफारिश की गई। समिति ने यह भी कहा कि पंचायतों को **आर्थिक अधिकार** मिलना चाहिए, ताकि वे अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें।

समिति ने **पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक, स्वायत्त और प्रभावी** बनाने के लिए इसे केन्द्र और राज्य सरकारों से अधिक शक्ति देने का सुझाव दिया। इसके परिणामस्वरूप, **73वां संविधान संशोधन** हुआ, जिससे पंचायतों को संविधान में एक विशेष स्थान मिला और उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा मिला। इस समिति ने भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय शासन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के रुझानों पर चर्चा कीजिए।

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के रुझान भारतीय संघीय ढांचे के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत में वित्तीय संबंधों का निर्धारण संविधान, विशेषकर **7वीं अनुसूची** और **वित्त आयोग** द्वारा किया जाता है। समय-समय पर केन्द्र और राज्यों के बीच इन संबंधों में बदलाव होते रहे हैं, खासकर

Scholarly Minds

आर्थिक नीतियों और आवश्यकताओं के अनुसार। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण रुझान देखे गए हैं:

1. वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लागू होना:

वर्तमान वित्तीय संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव **वस्तु और सेवा कर (GST)** का लागू होना है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इससे पहले राज्यों के पास अलग-अलग प्रकार के कर जैसे वैट (VAT) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क थे, जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। GST के लागू होने के बाद, राज्यों और केन्द्र के बीच कर का बंटवारा सरल हो गया है, और यह एक एकल कर प्रणाली पर आधारित है। इसके तहत केन्द्र और राज्य दोनों को एक समान हिस्से के रूप में कर की प्राप्ति होती है। हालांकि, राज्यों के लिए GST लागू होने से एक चुनौती भी आई है क्योंकि कुछ राज्यों की कर-राजस्व में गिरावट देखी गई, जिसे केन्द्र ने GST मुआवजा व्यवस्था के तहत कवर किया।

2. वित्तीय आयोग की सिफारिशें और धन का वितरण:

हर पांच साल में भारत सरकार **वित्त आयोग** की सिफारिशों पर आधारित धन के वितरण की नीति को अपनाती है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू हुई हैं, जिनके तहत राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कुछ बदलाव किए गए हैं। वित्त आयोग ने राज्य के पुनर्विकास और आधारभूत ढांचे के लिए अधिक धन देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही, उसने राज्यों को **बाज़ार आधारित उधारी** में भी भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया है।

3. राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता और संसाधनों का वितरण:

हाल के वर्षों में राज्यों को अपने वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वायत्तता मिली है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकारों को विकास कार्यों के लिए **स्वयं के संसाधनों का उपयोग** करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने राज्यों को **विशेष वित्तीय पैकेज** दिए हैं, खासकर COVID-19 महामारी के दौरान, ताकि वे अपने राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से चला सकें।

4. केंद्र का राज्यों पर अधिक नियंत्रण:

हालांकि राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिली है, केन्द्र सरकार ने कुछ मामलों में राज्यों पर अधिक नियंत्रण भी बढ़ाया है। जैसे, **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)** जैसी योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र ने stricter guidelines लागू की हैं, और राज्य सरकारों को योजनाओं के फंडों के उपयोग पर अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया है।

5. संकटग्रस्त राज्यों के लिए सहायता:

हाल के वर्षों में, खासकर प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के बाद, केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेजों की घोषणा की है। **बिहार, केरल, और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र से अतिरिक्त वित्तीय मदद मिली है। इसके अलावा, **COVID-19 संकट** के दौरान, केन्द्र सरकार ने राज्यों को स्वास्थ्य और राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराया।

Scholarly Minds

निष्कर्ष:

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिनमें GST का लागू होना, वित्तीय आयोग की सिफारिशें, और राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलना प्रमुख हैं। हालांकि, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र का कुछ हद तक नियंत्रण भी देखा गया है। इन रुझानों से भारतीय संघीय ढांचे में वित्तीय प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्यों के वित्तीय संसाधनों की स्थिति और उन्हें मिलने वाली सहायता अभी भी विकास और वित्तीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

Scholarly Minds